Form No- III

FAPP.A
Crim. 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर

सरकार बनाम वीरूराम S/o चर्माराम

किस्म मुकदमा राज० उपनिवेशन अधि० 1954 की धारा - 22 नम्बर ~~२०२~~ 110 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
26/06/20	पटवारी हल्का 6 एसडी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पटवार मण्डल 6 एसडी के चक 10 एनपी के मु०नं० 13 के कि०नं० 5 में गै०मु० रास्ता में वीरूराम S/o चर्माराम जाति जाट नि० 10 एनपी द्वारा 16½ X 41 फिट में परिहायशी मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर अतिक्रमी (कब्जा धारक) को नोटिस जारी करें पत्रावली दिनांक 02/07/2020 को पेश हो। [signature]	क्र०सं०/राजस्व/2020/720/दिनांक 27/06/20 से नोटिस जारी
02/07/2020	पत्रावली पेशी में ली गई। नोटिस वीरूराम S/o चर्माराम स्वयं को तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। पेशी पर स्वयं वीरूराम उपस्थित न होकर उसका पिता चर्माराम पुत्र मामराज जाति जाट नि० 10 NP जरिये अभिभावक वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व बोहड़ सिंह की आपस में रंजिश चलती है। जिससे बोहड़ सिंह अतिक्रमण हटाना चाहता है। इस प्रकरण में फैसले पूर्व चक 10 एनपी के चौपरी व गांव के अन्य रास्तों एवं जोहड़ पायतन पर [illegible] की ग्राम विकास अधिकारी [illegible] मंगवाई जाने का निवेदन [illegible] [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Amar Singh Bhankhad
Date: 2020.12.16 16:42:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तहसील कार्यालय के नोटिस क्रमांक: राजस्व/201 720 दिनांक 27/06/2020 बीरूराम S/o चमोराम जाति भाट निवासी 10 एनपी को स्वयं को तामिल हुआ है। बीरूराम स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है। पिता द्वारा अन्य रास्तों मे छोड़ आयतन की भूमि की कब्जो की रिपोर्ट मंगवाई जाने की मांग की गई है। जो इस प्रकरण में कोई संबंध नहीं रखती है। चक 10 एनपी का मु० नं० 13 के कि०नं० 5 में दर्ज गै०मु० रास्ता राजस्व का रास्ता है, जिसमें बीरूराम S/o चमोराम जाति भाट द्वारा रास्ते की भूमि में 16½×41 फिट में पक्का रिहायशी मकान बनाकर कब्जा किया है, उक्त कब्जे रकबे पर बीरूराम S/o चमोराम जाति भाट, 10NP को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। उक्त रकबा से अतिक्रमी का अतिक्रमण हटाए जाने हेतु, ILR एवं पटवारी को लिखा जावे अतिक्रमीत रकबे की लगानदर का शास्ति 50 गुणा कुल 2/- रुपये मांग कायमी हेतु TRA एवम वसूली हेतु पटवारी/गिरदावर को लिखा जावे निर्णय आज दिनांक 02/07/2020 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amar Singh Bhankhad
Date: 2020.12.16 16:42:55 IST
Reason: SelfAttested